

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : प० सि० जयपुर प्रकरण बनाम श्री. प्रेमचंद गोहिल
प. 25/2016 2016

कार्यवाही / आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22-3-17	<p>पदावली के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों पर लागू करा गया। फल सुनी गई। काले कादेश पत्रावली दिनांक 26-4-17 को पत्र था। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर</p>	
26-4-17	<p>पदावली के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों पर लागू काले कादेश दिनांक 26-5-17 को पत्र था। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर</p>	
30-5-17	<p>पदावली के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों पर लागू। फल सुनी गई। काले कादेश पत्रावली दिनांक 21-06-17 को पत्र था। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर</p>	
27-6-17	<p>पदावली के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों पर लागू। फल त्रिज्या की शर्तों पर स्वीकार किया जाता है। फल फैसला दिनांक 5-2-2013 एवं गैर-त्रिज्या पर 02 के एक से जारी किया गया था। स. 07 फल किया जाता है। फल का निर्णय दिनांक 25-05-2015 यथावत रहे जो के कादेश दिए जाते हैं विस्तृत तर्कों के अंतर्गत जिला जकार्ड कार्यालय में फल गणना पदावली फैसला शुभारंभ सेकल दर्ज नम्बर से 4.51 है। निर्णय से इतना ही सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर</p>	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

पंचायत निगरानी संख्या : 25/2016

जगदीश प्रसाद पुत्र श्री चन्दाराम, जाति-बलाई, निवासी-ग्राम डाबला
बुजुर्ग, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत-मोहब्बतपुरा जरिये सरपंच, पंचायत समिति-फागी, जिला-जयपुर।
2. राकेश शर्मा पुत्र श्री मुन्नालाल शर्मा, जाति-बागडा ब्राह्मण, निवासी-ग्राम डाबला बुजुर्ग, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।

गैर-निगरानीकर्तागण

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरुद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा दिनांक 05.02.2013 एवं इसके अनुसरण में दिनांक 05.02.2013 को जारी किया गया पट्टा सं0 74 बहक श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री मुन्नालाल, को निरस्त करने)

उपस्थिति:-

1. श्री सत्यनारायण शर्मा, अभिभाषक निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री भूपेन्द भारद्वाज, अभिभाषक, गैर-निगरानीकर्ता सं. 2 की ओर से।
3. गैर-निगरानीकार सं0 1 बावजूद तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27.06.2017

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत-मोहब्बतपुरा ने अपनी आज्ञा दिनांक 05.02.2013 द्वारा राकेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा, निवासी-डाबला बुजुर्ग को उसके कब्जेशुद्धा मकान का विनियमितकरण कर पट्टा जारी करने का निर्णय किया है, जिसके अनुसरण में दिनांक 05.02.2013 को पट्टा सं0-74 जारी किया गया है। इस आज्ञा दिनांक 05.02.2013 एवं पट्टा सं0-74 को व्यक्त होकर निगरानीकर्ता जगदीश प्रसाद ने दिनांक 21.08.2013 को न्यायालय अति0 कलक्टर (द्वितीय) जयपुर में निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण सं0 35/2013 उनवानी जगदीश प्रसाद बनाम ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा दर्ज



(Signature)

हुई। गैर-निगरानीकारान के अनुपस्थित रहने पर निगरानीकर्ता को एकपक्षीय सुनवाई की जाकर दिनांक 25.05.2015 को निगरानी प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए पट्टा सं०-74 को निरस्त करने की आज्ञा दी। आज्ञा दिनांक 25.05.2015 के विरुद्ध गैर-निगरानीकर्ता सं०-2 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस. बी.सिविल रिट पिटिशन सं० 14648/2015 उनवानी राकेश शर्मा बनाम राजस्थान सरकार वगै० प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.2016 को याचिकाकर्ता राकेश कुमार शर्मा को रिट याचिका को विद्रो करने की स्वीकृति देकर रिट को खारिज करते हुए लिबर्टी दी गई कि न्यायालय अति० कलक्टर (द्वितीय) जयपुर में प्रथमतः आज्ञा दिनांक 25.05.2015 के विरुद्ध इस आधार पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जावे कि याचिकाकर्ता राकेश कुमार शर्मा को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। हाँलाकि याचिकाकर्ता राकेश कुमार शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। न्यायालय अति० कलक्टर (द्वितीय) जयपुर में याचिकाकर्ता राकेश कुमार पूर्व में जरिये अभिभाषक हाजिर हुए हैं और नियत दिनांक पर अनुपस्थित रहने पर ही एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार आज्ञा दिनांक 25.05.2015 पारित की गई हैं। इसके बावजूद भी न्याय का सिद्धान्त हैं कि न्याय करते समय न्याय दिखना भी चाहिए। इस तथ्य को मध्यनजर रखते हुए याचिकाकर्ता राकेश कुमार शर्मा का प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.05.2016 स्वीकार करते हुए दिनांक 29.11.2016 को प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये गये हैं।

उभय-पक्षों की बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री सत्यनारायण शर्मा ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानी अधीन पट्टा सं०-74 विधि-विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित जारी किया गया हैं। पट्टा सं०-74 जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के विक्रय बाबत् कोई धोषणा जारी नहीं की गई और न ही आपत्ति नोटिस नियमानुसार चस्पा किये गये। तीन पंचों की समिति गठित करके श्री का रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई गई सारी कार्यवाही गुपचुप में तत्कालीन श्री नारायण प्रसाद ने अपने चहेते व पारिवारिक संबंधियों से साझा कर लिये। श्री कागजी कार्यवाही की हैं। पट्टा सं०-74 जो जारी किया गया हैं उस पर अप्रार्थी सं०-02 का पुराना मकान होना बताया हैं, जो सरासर मिथ्या हैं।



(Handwritten signature)

वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त भू-खण्ड आराजी खसरा नं०-347 आबादी भूमि में है और इसमें निगरानीकर्ता का मकान, पानी का होद, एक दुकान, बाउण्ड्रीवाल व नौल्या बना हुआ है। मकान की नाप 65 X 50 ÷ 2 अर्थात् 181 वर्गगज बाड़े की नाप 38 X 90 ÷ 2 अर्थात् 190 वर्गगज कुल 371 वर्गगज है जो कदीम से बजमाने बुजुर्गान से निगरानीकर्ता के उपयोग-उपभोग में चली आ रही है तथा जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में गणपतलाल जोगी का बाडा, पश्चिम में पहाडिया रोड़, उत्तर में जगदीश कुमार का मकान व दक्षिण में कैलाश मीणा का भूखण्ड स्थित हैं। ग्राम पंचायत ने बिना मौका मुआयना किये निगरानीकर्ता की पैतृक भूमि में से गैर-निगरानीकर्ता दो को अवैध रूप से आवंटित कर पट्टा जारी किया है जो अवैध होने से निरस्तनीय हैं। मिन निगरानीकर्ता की पैतृक एवं कब्जेशुदा भूमि जिसके चारों ओर निगरानीकर्ता ने बाउण्ड्रीवाल बना रखी है। गैर-निगरानीकर्ता सं०-02 ने अवैध रूप से जारी किये गये पट्टे के आधार पर लाठी के जोर से कब्जा करने की निगरानीकर्ता को दिनांक 10.02.2013 को धमकी दी। ऐसी स्थिति में निगरानीकार ने गैर-निगरानीकार सं०-2 के विरुद्ध दिनांक 18.02.2013 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दूदू से स्थगन आदेश प्राप्त किया तथा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये मौका कनीशनर की रिपोर्ट दिनांक 19.02.2013 में वादग्रस्त भूखण्ड पर निगरानीकर्ता का कब्जा, मकान आदि होना दर्शाया है जिससे अप्रार्थी सं०-1 द्वारा लिया गया प्रस्ताव सं०-2 एवं जारी किया गया पट्टा सं०-74 प्रारम्भ से ही शून्य हो जाता है। ग्राम पंचायत ने गैर-निगरानीकार सं०-2 निःशुल्क भूखण्ड दिया है जिसका कि वह हकदार नहीं है। ग्राम डाबला खुर्द में आबादी भूमि की कीमत 500/- रुपये वर्गगज से कम नहीं है इसके बावजूद भी पट्टा फीस 200/- रुपये मात्र लेकर 70,000/- रुपये की भूमि अवैध रूप से दे दी जिससे ग्राम पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ है। वादग्रस्त भूखण्ड का बजमाने बुजुर्गान निगरानीकर्ता 50 वर्षों से उपयोग-उपभोग करता आ रहा है तथा पुख्ता मकान, नोहरा व बाडा हैं। इस कारण से निगरानीकर्ता नियम 157 के अन्तर्गत वादग्रस्त पट्टा लेने का हकदार है। सरपंच ने मात्र अपने चहेते को अनुचित पट्टा देने की गरज से अपने वोट बैंक को खुश करने के उद्देश्य से केवल मात्र कल्पना के आधार पर पट्टा जारी किया है जो मौके के विपरित तथ्य होने



(Handwritten signature)

से निरस्तनीय हैं। निगरानीकर्ता बीपीएल परिवार एवं अनुसूचित जाति का सदस्य हैं और इससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति यह है कि निगरानीकर्ता के दोनों हाथ बंटे हुए हैं जिससे वह विकलांग हैं। निगरानीकर्ता की मजबूरी का नाजायज कायदा उठाकर अवैध रूप से प्रारम्भ से शून्य पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जावे और अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 05.02.2013 एवं इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा सं0-74 निरस्त फरमाया जावे पूर्व का निर्णय दिनांक 25.05.2015 यथावत रखा जावे।

गैर-निगरानीकार सं0-02 के विद्वान् अभिभाषक श्री भूपेन्द्र भारद्वाज का कथन है कि निगरानी अधीन आज्ञा दिनांक 05.02.2013 ग्राम पंचायत-मौहबतपुरा व इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा सं0 74 विधि-विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई हैं। वादग्रस्त भूखण्ड पर निगरानीकर्ता का कोई कब्जा नहीं है और न ही कोई सम्बन्ध-सरोकार है। निगरानीकर्ता ने ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जो यह साबित करते हो कि वादग्रस्त उसकी स्वयं की पुश्तैनी भूमि है। ग्राम पंचायत-मौहबतपुरा ने गैर-निगरानीकर्ता सं0-2 की कब्जाशुदा रिहायशी भूखण्ड पर कुल कब्जा पाये जाने से अधिनियम की धारा 157 के अन्तर्गत पट्टे देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है और ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 05.02.2013 के अनुसरण में ही पट्टा सं0 74 वैधानिक रूप से जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड का मौका देखने हेतु 3 पंचों की कमेटी गठित की है। तीनों पंचों ने मौका देखकर ग्राम पंचायत में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है नियमानुसार आपत्ति नोटिस जारी किया गया है। ग्राम पंचायत-मौहबतपुरा द्वारा नियमों की समस्त प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी प्रार्थना-पत्र निरस्त फरमाया जावे पूर्व का निर्णय दिनांक 25.05.2015 निरस्त किया जावे।

हमने उभय-पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि सरपंच, ग्राम पंचायत-मौहबतपुरा ने पूर्व से कम्प्यूटर टंकित सूची की प्रति पर रिक्त स्थानों को भरते हुए हस्ताक्षर किये हैं। पूर्व से कम्प्यूटर टंकित आदेशिका पर दिनांक 20.12.2012 अंकित करते हुए प्रार्थना



—पत्र नक्शा कॉपी राकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत किया जाना अंकित हैं और पत्रावली आगामी बैठक में पेश करने के आदेश दिये गये हैं किन्तु इसके पश्चात् पूर्व से कम्प्यूटर टंकित पर पुनः दिनांक 20.12.2012 अंकित करते हुए मुहम्मद का मौका देखने हेतु तीन पंचों की नियुक्ति की हैं। इसके पश्चात् दिनांक 05.01.2013 में अंकित हैं कि पंचों की मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं। एक माह का नोटिस जारी किया जावे और पत्रावली एक माह पश्चात् कोरम के समक्ष पेश हो। इसके पश्चात् पूर्व से कम्प्यूटर टंकित आदेशिका पर दिनांक 05.02.2013 लिखा गया हैं और अंकित हैं कि "वार्डपंचों की मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया जा चुका हैं, मियाद एक माह के भीतर कोई आपत्ति ग्राम पंचायत कार्यालय में दर्ज नहीं की गई हैं, पट्टा जारी किया जाना शेष हैं। कोरम द्वारा विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि फैसला वास्ते पत्रावली आगामी बैठक में पेश की जावे।" इसके बाद में मुहर सहित सरपंच के हस्ताक्षर हैं। इस आदेशिका के पश्चात् कम्प्यूटर टंकित आदेशिका अंकित हैं जिस पर कोई दिनांक अंकित नहीं हैं, जो निम्नानुसार हैं "आज पत्रावली अन्तिम निर्णय वास्ते पेश की गई अवलोकन किया गया पत्रावली की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं कोरम द्वारा विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से संलग्न फ़ैसले फार्म में वर्णित फ़ैसले अनुसार पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया हैं। इसके बाद में मुहर सहित सरपंच के हस्ताक्षर हैं। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में जब पत्रावली का अवलोकन किया गया तो दिनांक 05.01.2013 को मौका देखा जाना मौका रिपोर्ट से जाहिर होता है परन्तु इसमें प्रार्थना-पत्र को मय नक्शा मिसल में संलग्न होना अंकित किया है जबकि प्रार्थना-पत्र के संलग्न नक्शा ही नहीं हैं इससे पंचों की रिपोर्ट में अंकित कि "प्रार्थी द्वारा चाही गई भूमि लाल रंग से दिखाई गई है और उस नक्शे के नीचे भूमि का क्षेत्रफल लम्बाई, चौड़ाई प्रति वर्गगज, फुट में अंकित हैं जिसमें उनके नक्शा नवीस के हस्ताक्षर भी मौजूद है। हमने बहुत सावधानीपूर्वक भूमि का निरीक्षण किया और इस निरीक्षण में निम्न बातें पाई गई :- (1) प्रार्थी के नक्शे के अनुसार पूरब-पश्चिम 30 फीट तथा उत्तर-दक्षिण 45 फुट के पर पाई गई।" संदेहास्पद प्रतीत होती हैं। इसके साथ ही दिनांक 05.01.2013 को ही आपत्ति नोटिस जारी किया जाना बताया हैं परन्तु आपत्ति




(Handwritten signature)

नोटिस किसके द्वारा किस स्थान पर कब किस दिनांक को एवं किन 2 मौजिज व्यक्तियों के सामने चस्था किया कोई विवरण अंकित नहीं हैं इससे स्पष्ट जाहिर हैं कि आपत्ति नोटिस के सम्बन्ध में नियमों की पालना नहीं की गई हैं। कम्प्यूटर अंकित आदेशिका दिनांक 05.02.2013 में फैसला वास्ते पत्रावली आगामी बैठक में पेश करने के तथ्य अंकित हैं जबकि पत्रावली में उपलब्ध फैसला फार्म में फैसले की दिनांक 05.02.2013 अंकित हैं और इस पर तीन पंचों के साथ सरपंच के हस्ताक्षर हैं अर्थात् पूरे कोरम के हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त विवेचानुसार यह स्पष्ट हैं कि पट्टा सं०-74 जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सपठित पंचायतीराज नियम के प्रावधानों की विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और सम्पूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद हैं। अतः निगरानी प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता हैं और फैसला दिनांक 05.02.2013 एवं गैर-निगरानीकार सं०-02 के हक में जारी किया गया पट्टा सं०-74 निरस्त किया जाता हैं पूर्व का निर्णय दिनांक 25.05.2015 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 27.06.2017 को सुनाया गया।




27/6/17
(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर